

आदेश क्रमांक 23/271-2001 दिनांक चण्डीगढ़ 7-9-2001

नियमानुसार जाच उपरान्त कार्य विभाग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चण्डीगढ़ (जिन्दार) को केवल शैक्षिक सत्र 2001-2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्ट्स, कार्मस तथा विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएं अपने खर्च पर उपलब्ध करायेगे।
2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्ही को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम0ए0/एस0एस0सी0/एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तिया भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जायेगे जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाये विद्यालय में उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो।
7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों/निदेशों का पालन किया जाएगा।
8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा।
9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा।
10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों।



11. स्टाफ का वेतन बैंक चैक द्वारा ही दिया जाएगा ।
12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाएं ।
13. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया 700 78/- राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लैज करवाई जाए ।
14. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।
15. भविष्य में छात्र/छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।
16. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेंगे वह मान्य होंगे ।

राजेश्वर दयाल श्योकन्द  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़ ।

पृ0क0 सम दिनांक, चण्डीगढ़ 12-9-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1. प्रबन्धक पारा विकास निदेश माध्यमिक विद्यालय  
बधपुरगढ़ (अजमेर) !

2 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर के को उनके  
कमांक 225/3-2001/733

दिनांक 28.8.2001 के संदर्भ में

सहायक निदेशक विद्यालय-1  
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़ ।